रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 506] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 506] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नियति व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

का. आ. 772(अ).—सं. नि. (नि.) आ., 1977/ग. एम(314).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है ; नामतः

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 19 वां संशोधन आदेश, 1985 कहा जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में अनुसूची-1 के भाग-ख में क्रम सं. 24 (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; नामश. —

"24(4)	(क)	खाद्यान्न बीज (प्रमाणित) गेहूं और धान बीज के अतिरिक्त
	(ख)	गेहूं के बीज और धान के बीज (प्रमाणित) ।"

[फाइल सं. 42/17/85-ई -2]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पादटिप्पणी .—भारत के 1977 के (असाधारण) राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) पृष्ठ 1271 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एस. ओ. सं. 254(ई) दिनांक 24-3-1977 द्वारा प्रकाशित मुख्य आदेश, अर्थात समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977, अंतिम संशोधन सं. नि. (नि.) आदेश 1977/ए एम(313), दिनांक 24-9-1985 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th October, 1985

S.O. 772(E) No. E(C)O, 1977|AM(314).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Nineteenth Amendment Order, 1985.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule I, Part 'B', for serial number 24(iv) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"24(iv) (a)—Foodgrain seeds (Certified) other than wheat seeds and paddy seeds.

(b)—Wheat seeds and paddy seeds (certified)."

[File No. 42|17|85|E-II|

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

Foot Note :—Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977 published vide Notification S.O. No. 254(E), dated 24-3-1977, published in Gazette of India, 1977 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) Page 1271, as amended from time to time.

The last Amendment made vide No. E(C)O, 1977|AM(313) dated 24-9-85 in Part II, Section 3, Sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985